राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान)

पो.बॉक्स नं.1075, नागरभावी, बेंगलूरु - 560072

नैक/प्रशासन/प्रशासन मामला/2021 दिनांक : 07/05/2021

सार्वजनिक सूचना

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कई निजी कंपनियों / एजेंसियों और व्यक्तियों ने अपने निजी वेबसाइटों के द्वारा यह प्रकाशित कर रहे हैं कि वे, ऐसे संस्थान, जो नैक (NAAC) के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया हेतु आवेदन करते हैं, से संपर्क कर, उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। यह भी पता चला है कि वे इस तरह के संस्थानों को यह दावा करते हुए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि वे ऐसी एजेंसियों या व्यक्तियों से सहायता के लिए संपर्क करते हैं, तो वे बेहतर ग्रेड हासिल कर पाएंगे। यह भी पता चला है कि इनमें से कुछ एजेंसियां / व्यक्ति, नैक (NAAC) के आंतरिक कामकाज के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होने का दावा करते हैं।

इस संबंध में, नैक (NAAC) सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को सूचित करना चाहता है कि यह, न तो ऐसी एजेंसियों / व्यक्तियों के साथ जुड़ा है और न ही इससे संबंध का समर्थन करता है। इस विषय पर ध्यान दिया जाए कि नैक (NAAC) की प्रक्रिया पूरी तरह से आई.सी.टी. (ICT) संचालित क्रियाविधि है और पारदर्शी है। नैक (NAAC), एक गुणवत्ता वाला संगठन है और मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के बारे में किसी भी प्रश्न या मुद्दे का, निदान करने हेतु, संस्थान द्वारा सीधे इसके हेल्प डेस्क और इश्यू मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) के माध्यम से, निवेदन किया जा सकता है, जिसका तुरंत उत्तर दिया जाता है और समाधान किया जाता है। नैक (NAAC), किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी एजेंसियों या व्यक्तियों का समर्थन नहीं करता है। एतद्द्वारा, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) से अपील की जाती है कि वे, ऐसी एजेंसियों / व्यक्तियों के बारे में सचेत रहें और ऐसी संस्थाओं या व्यक्तियों से संपर्क न करें ।

Shridhar

प्रशासनिक/अधिकारी, नैक (NAAC)